

Manglam's
Foresta
Resort Life Style

$$\frac{1600}{B} = 19.625$$


1. आवेदित भूमि की संरक्षित धारा 90ए की कार्यवाही दिनांक 20.02.2025को हेतु की है।
2. योजना की भूमिबद्धता, अनिवार्य की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया।
3. राजस्थान राजनियंत्रण पोर्ससी-2010 के अनुसार आचारिक विकास कार्यों की सुविधितता के संबंध में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 12, 13, 21, 24, 25, 77, 78, 79, 84, कुल 9 कुल क्षेत्रफल 29818.52 वर्ग मी. है जो कि जमिदा द्वारा सुविधित योजना के विकल्प योथ क्षेत्रफल का 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे नरत ख्याज है।
4. कॉरर भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कर दिया गया।
5. योजना का अनुमोदन राजनीय-एलपी की 32921 बैक दिनांक 08.04.2025 में किया जा चुका है।
6. योजना के भूखण्ड पर पैमेटिड एवं सैट-क के जमिदा भवन वितियन 2025 के अनुसार देय होंगे।
7. योजना में राजनियंत्रण पोर्ससी-2010 के प्रावधान लागू होंगे।
8. प्ररुगत प्रकरण में पूर्व में जारी धारा 90ए के आवेशों में समिलित खसरा नम्बर ग्राम खैरयाड़ी के खसरा संख्या 399 / 495 (1.76 हे०), एवं खसरा संख्या 398 / 455 (0.19 हे०) को संरक्षित धारा 90ए के आदेश में समिलित नही किया गया है, उक्त खसरा नम्बरान व उसके क्षेत्रफल को धारा 90ए के आदेश में इको-सेरेस्टा नजान में प्रसालित होने के क्रम में उक्त खसरा पर मोनिट्रिंग कमेटी के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।